


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ...507 व 508 / 2015जिला..... जयपुर.....

उनवान - मैसर्स राहुल डेक होम प्रा.लि., ई-53, चित्रंजन मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर बनाम् वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, जोन-तृतीय, जयपुर।

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज .	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20.04.2015	<p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री मदन लाल, सदस्य</p> <p>अपीलार्थी द्वारा यह अपीलें अपीलीय प्राधिकारी-द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक्-पृथक् आदेश दिनांक <u>27.03.2015</u>, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये हैं, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं जिनमें वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, जोन-तृतीय जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की <u>धारा 25, 55 व 61</u> के तहत निर्धारण वर्ष <u>2013-14 व 2014-15</u> के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक <u>16.03.2015</u> में कायम मांग राशियों की वसूली पर अपीलीय अधिकारी द्वारा रोक लगाने के प्रार्थना पत्रों को आंशिक रूप से स्वीकार करने को विवादित कर, क्रमशः रु.56,707/- व रु.1,47,861/- की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी है।</p> <p>अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री एस.के.जैन व विभाग की ओर से उप-राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह रोक आवेदन पत्र पर <u>बहस हेतु दिनांक 17.04.2015 को उपस्थित हुये।</u> उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर रोक आवेदन पत्र पर निर्णय पारित किया जा रहा है।</p> <p>उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवम् दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन करने के पश्चात्, यह पीठ यह अवधारित करती है कि हस्तगत प्रकरणों में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद "Wall hanging chairs" के 5 प्रतिशत अथवा 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य होने अथवा नहीं होने का महत्वपूर्ण एवम् विधिक बिन्दु अन्तर्वलित है। अतः गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र स्वीकार किये जाकर, वसूली योग्य मांग राशि क्रमशः रु.56,707/- व रु.1,47,861/- की वसूली पर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में <u>पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपीलों के निर्णय अथवा 3 माह, जो भी पहले हो, तक रोक लगायी जाती है एवं अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।</u></p> <p>अपीलों का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।</p> <p>निर्णय प्रसारित किया गया।</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  (मदन लाल) सदस्य </div>	